

**कार्यालय**  
**अधिशारी अभियन्ता**  
**विद्युत वितरण खण्ड आँवला**

ब्लॉक - आंजा  
बुक सं० - 4235  
संयोजन सं० - 417923

**नलकूप सम्पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत**  
**दिनांक-18/08/2023**  
**नं०-281/23-24**  
विषय:-**श्री/श्रीमती रामपाल सिंह पुत्र श्री डोरी लाल निवासी सिंघा पोस्ट खास तह० आँवला**  
**जिला-बरेली में 7.5 अश्व शक्ति नलकूप के उर्जन के सम्बन्ध में।**  
**उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड आँवला-प्रथम/द्वितीय/तृतीय।**

उपरोक्त आवेदक ने निम्नलिखित धनराशि जमा करके दिनांक 17/08/2023 को नलकूप कनेक्शन के लिए अनुबन्ध कर दिया है।

01	प्रक्रिया शुल्क	100.00	आवेदन संख्या	1008311110
02	जमानत (Security)	2400.00	अतएव/रसीद संख्या	YSB12042652225
03	फिक्स चार्ज (Fix Charge)	4957.00	दिनांक	17/08/2023
04	लाईन चार्ज (Line Charge)	148862.00		
05	योग (Total)	156319.00		

प्राक्कलन स्वीकृत नं०- 427/SDO II/OP/23-24 कुल धनराशि रु० 156319.00

एस्टीमेट/लाईन चार्ज ही

(अ) 11 के.वी. - 230 मीटर

(ब) एलटी० - ०० मीटर

नोट:- उपमोक्ता अपने खर्च पर भंडार केन्द्र सी०बी० गंज,बरेली से तार आदि ले जायेगा और खम्बे लाईन व सब स्टेशन बनाने की मजदूरी स्वयं वहन करेगा। पोलो के गड्डों के लिए कंकरीट सीमेन्ट व रेत उपमोक्ता को देना होगा।

02- सब स्टेशन:-

(अ) नये सब स्टेशन - 25 कवीए

(ब) क्षमता बढ़ाना-

नोट:- विद्युत कनेक्शन स्टोर से सामग्री उपलब्ध होने पर ही दिया जायेगा। यदि सामान जैसे तार, ट्रांसफार्मर आदि स्टोर से मिलने में देरी तो उसकी जिम्मेदारी विद्युत कारपोरेशन की नहीं होगी।

नोट:- कोबिल उपमोक्ता द्वारा देय है।

उपरोक्त कनेक्शन के सम्बन्ध में वी०एल०फार्म दिनांक.....को प्राप्त हो गया जो मय अनुमानित व्यय पत्र के साथ में संलग्न है अतः कनेक्शन देने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे तथा तत्पश्चात वी०एल०फार्म की 01 सत्याप्रति इस कार्यालय को न्यू कनेक्शन स्टेटमेन्ट के साथ प्रेषित करे तथा 01 वी०एल० फार्म की प्रतिलिपि चालान सहित सहायक विद्युत निरीक्षक उ०प्र० सरकार राजेन्द्र नगर, बरेली को भेजे। तथा आपको निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की सामग्री निर्गत होने के पश्चात संयोजन का ऊर्जाकरण मीटर स्थापना के पश्चात लेजरइंज कर खण्ड कार्यालय को आख्या प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

पत्रांक सं:- /वि०वि०ख०आँवला/

तददिनांक:

अधिशारी अभियन्ता

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01- सम्बन्धित अवर अभियन्ता, 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र।

अधिशारी अभियन्ता